क्रमांक– 4241362
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
जल संसाधन भवन, तुलसी नगर,
भोपाल–462003
दूरभाष 2552646,2552878 फैक्स 2552406,
Email ID-encwrbpl-mp@nic.in

भोपाल, दिनांक /09/2017

प्रति,

समस्त मुख्य अभियन्ता,
....
जल संसाधन विभाग,
.... (म0प्र0)

विषय :– कार्य स्थल सामग्री लेखों (MAS) की प्रस्तुती ।

विभाग में सभी उपयंत्रियों द्वारा उनके संभागीय अधिकारियो को कार्य स्थल सामग्री लेखे (MAS) तुरन्त प्रस्तुत किये जाने चाहिये । कार्य स्थल सामग्री लेखे में कार्य स्थल पर उपलब्ध सामग्री की प्रति, निर्गम और बकाया का विवरण शामिल रहता है ।

प्रायः देखा गया है कि विभिन्न संभागों के अन्तर्गत सामग्री क्रय करने के उपरान्त, कार्य पर सीधे प्रभारित कर, कार्य स्थल सामग्री लेखे में दर्ज करना दर्शायी जाती है। लेकिन कार्य स्थल सामग्री लेखे संधारित नहीं किये जाते है । कार्य स्थल सामग्री लेखों के अभाव में कार्यो के लिये सामग्री की प्राप्ति, निर्गम एवं कार्य स्थल पर उपलब्ध बकाया सामग्री का हिसाब नही मिलता है । भौतिक सत्यापन में भी व्यवहारिक कठिनाईयॉ होती है, जिससे निर्माण कार्यो हेतु सामग्री की प्राप्ति और निर्गम पर नियंत्रण प्रणाली कमजोर होती है । महालेखाकर द्वारा भी उनके परीक्षण में इस बावत् आपत्ति ली गयी है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि आपके कछार अन्तर्गत कार्यपालन यंत्रियों को कड़ाई से निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें, कि वे उनके कार्य क्षेत्र में संबंधित उपयंत्रियों के एम.ए.एस. लेखे दिनांक 06.10.2017 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, एवं संबंधित कार्यपालन यंत्री इस बावत् प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें । निर्धारित अवधि में कार्य स्थल सामग्री लेखे प्रस्तुत नहीं किये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जावें । यह भी निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में म0प्र0 कार्य विभाग मेन्युअल परिशिष्ट 1.28 के अनुसार निर्धारित समयावधि में सामग्री लेखे (MAS) प्राप्त करना सुनिश्चित किया जावें ।

–Sd/–
(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियन्ता
जल संसाधन विभाग भोपाल.

.........2

पृष्ठांकन कमांक 4241362 भोपाल, दिनांक 4/09/2017

प्रतिलिपि :–

(1) बेव मैनेजर परियोजना संचालक विश्व बैंक परियोजनाएँ को विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित किये जाने हेतु अग्रेषित ।

(2) कार्यपालन यंत्री, क्योटी नहर संभाग, रीवा, जल संसाधन संभाग, पन्ना, जल संसाधन संभाग, बड़वानी एवं बरियारपुर बांयी तट नहर संभाग क्रं.–2, छतरपुर (म0प्र0) को निर्देशित किया जाता है कि महालेखाकार के प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 की कण्डिका 2.6.6.4 पर ली गयी आपत्ति अनुसार आपके संभाग अन्तर्गत कार्य स्थल सामग्री लेखो के संधारण के संबंध में 3 दिवस में उत्तर प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।

4/9/17

(राजीव कुमार सुकलीकर)
प्रमुख अभियन्ता
जल संसाधन विभाग भोपाल.

''कुशवाहा''